प्रार्थना-पत्र - सं. 46/2022 धारा 2022/52 भंवरलाल/धारा

10/02/2023

वकील प्रार्थी उपयुक्त मूल वाद का निर्णय है। उक्त ही प्रार्थिक पत्र पालने योग्य नहीं होने से खारिज करने की अतः प्रार्थी पत्र प्रार्थीगण यानि विपक्षगण की पत्रावली किसी अन्य बेंच वकील के पास भेजा जाकर खारिज करने हेतु।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.07.24 15:51:07 IST
Reason: SelfAttested